

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30.09.2020

आरेडिका में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन


आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के महाप्रबंधक श्री विनय मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आरेडिका में कचरा प्रबंधन की शुरुआत की जा रही है।

आरेडिका के आवासीय परिसर में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कचरा प्रबंधन का कार्य औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर से प्रारम्भ किया जायेगा। इस कचरा प्रबंधन के अन्तर्गत सभी आवासों में गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग दो डस्टबिन में रखे जाने हेतु व्यवस्था की गई है एवं लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित तथा जागरूक किया गया है।

महाप्रबंधक/आरेडिका श्री विनय मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि इस कचरा प्रबंधन से आरेडिका को तो स्वच्छ बनाया ही जायेगा साथ ही इससे उत्पन्न होने वाले जैविक खादों से पौधों के विकास बहुत ही उपयोगी होगी तथा कचरा प्रबंधन द्वारा प्रतिमाह 2 से 3 टन जैविक खाद प्राप्त किया जा सकेगा जिसका उपयोग आवासीय परिसर को हरा-भरा करने हेतु लगाये गये पौधों व घास को विकसित करने में किया जायेगा।

मुख्य इंजीनियर श्री आर. बी. यादव ने बताया कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग गाड़ियों द्वारा कचरा प्रबंधन स्थल तक लाया जायेगा इसके अतिरिक्त हॉर्टिकल्चर वेस्ट को अलग से एकत्रित कर कचरा प्रबंधन स्थल तक लाया जायेगा। एकत्रित किए गये दोनों प्रकार के कचरों से प्लास्टिक, सेनेटरीपैड, डाइपर, मेटल, कॉच आदि को अलग किया जायेगा। इसके पश्चात् प्लास्टिक मेटल, कॉच इत्यादि को पुनःचक्रण हेतु प्रेषित किया जायेगा एवं सेनेटरी पैड डाइपर आदि को इनसिनरेटर के अन्दर जलाकर नष्ट किया जायेगा।

उप मुख्य इंजीनियर श्री पी. के. सिंह ने बताया कि हॉर्टिकल्चर वेस्ट व बड़े आकार के अन्य कचरे को मशीन से काटकर एवं गीले कचरे के साथ मिलाकर माइक्रो कल्चर द्वारा डिकम्पोस्टिंग करके जैविक खाद बनायी जायेगी। रसोई घर से उत्पन्न होने वाला कचरा जैसे बचा हुआ भोजन, सब्जी/फलों के अवशेष, पूजा घरों के चढ़ावे का फूल, चायपत्ती, पेड़-पौधे व पत्तियाँ, मॉस, मछली आदि गीले कचरे की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार लोहा, व अन्य धातुएँ, कागज व समाचार पत्र, प्लास्टिक की सामग्री, रबड़ व सिन्थेटिक जूते, चमड़े की वस्तुएँ, पैकिंग की सामग्री आदि सूखे कचरे की श्रेणी में आते हैं। सूखा कचरा मुख्यतः पुनर्चक्रण हेतु प्रेषित किया जायेगा। यह कचरा प्रबंधन द्वारा पूरे आवासीय परिसर को स्वच्छ रखते हुए कचरे का प्रबंधन एन.जी.टी. मानकों के अनुसार किया जाना प्रारम्भ किया जा रहा है।


(वी. के. दूबे) 30/09/2020
मुख्य जन-संपर्क अधिकारी